इस प्रकाशन का अंग्रेजी पाठ भी उपलब्ध है

भारतीय संसद

डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ
तथा
राज्य सभा अध्येतावृत्तियों (फैलोशिप्स)
हेतु योजना

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फा॰ सं॰ आर॰एस॰ 3/2/2014–जी॰आर॰यू॰

© राज्य सभा सचिवालय
http://parliamentofindia.nic.in
http://rajyasabhahindi.nic.in
E-mail: rsrlib@sansad.nic.in

महासचिव, राज्य सभा द्वारा प्रकाशित एवं महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110 002 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

राज्य सभा, भारतीय संसद ने भारत में संसदीय लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 में डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ और दो राज्य सभा अध्येतावृत्तियां आरंभ की हैं। अब तक प्राप्त अनुभव के परिप्रेक्ष्य में, इस योजना के कुछ पहलुओं की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया।

इस पुस्तिका में संशोधित योजना का ब्यौरा दिया गया है जिसमें पीठ और अध्येतावृत्तियों के लिए आवेदन प्रपत्र, वचन-पत्र तथा नियम और शर्तें शामिल हैं।

नई दिल्ली;
जनवरी, 2014

शमशेर के॰ शरीफ,
महासचिव,
राज्य सभा।

विषय-वस्तु

पृष्ठ

प्राक्कथन . . . . (iii)

डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ तथा राज्य सभा अध्येतावृत्तियों हेतु योजना
उद्देशिका 1

भाग क: खोज और सलाहकार समिति (एस॰ए॰सी॰)

(i) संरचना 1

(ii) कार्य 1-2

(iii) कार्यकाल 2

(iv) समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की ग्राह्यता 2

भाग ख: डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ

(i) पात्रता 2

(ii) अवधि 2

(iii) उत्तरदायित्व 3

(iv) चयन की विधि 3

(v) अनुसंधान अनुदान 3-4

भाग ग: राज्य सभा अध्येतावृत्तियां

(i) पात्रता 4

(ii) अवधि 4

(iii) उत्तरदायित्व 4

(iv) चयन की विधि 4

(v) अध्येतावृत्ति अनुदान 5

पृष्ठ

भाग घ: पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए सामान्य शर्तें

(1) पीठ/ अध्येतावृत्ति द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश 5-6

(2) पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र 7

(3) पुस्तकालय सुविधा 7

(4) अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रकाशन 7

(5) सभापति का निर्णय 7

उपाबंध-II क: पीठ के लिए वचन-पत्र 8

उपाबंध-II ख: अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र 9

परिशिष्ट: पीठ/फेलोशिप के लिए निबंधन और शर्तें 10-11

उपाबंध-I: डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ/राज्य सभा अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र 13-14

डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ तथा राज्य सभा अध्येतावृत्तियों हेतु योजना

उद्देशिका

1. भारत में संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के संबंध में गहन पड़ताल और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सभा, भारतीय संसद ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के प्रथम सभापति डा॰ एस॰ राधाकृष्णन के नाम से एक पीठ और दो राज्य सभा अध्येतावृत्तियों की स्थापना की है। यह महसूस किया जाता है कि इससे हमारी संसद के कार्यकरण को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा; संसदीय संस्थानों की बदलती प्रकृति एवं भूमिका का प्रलेखन करने में मदद मिलेगी और इन संस्थाओं के सामने पेश आ रही चुनौतियों को समझना संभव हो पाएगा। इस पहल का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण पर ज्ञान के भंडार के साथ शैक्षणिक अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण सामग्री सृजित करना है।

भाग क: खोज और सलाहकार समिति (एस॰ए॰सी॰)

(i) संरचना

2. पीठ तथा अध्येताओं के चयन एवं उनके प्रबंधन में राज्य सभा के सभापति की सहायता के लिए खोज और सलाहकार समिति गठित की जाएगी।

3. खोज और सलाहकार समिति में पांच सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा। इनमें से दो राज्य सभा के सदस्यों में से होंगे और दो प्रमुख शिक्षाविद होंगे। राज्य सभा के महासचिव, समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

(ii) कार्य

4. खोज और सलाहकार समिति पीठ और अध्येताओं के लिए नामों का पृथक पैनल बनाएगी।

5. इसके अतिरिक्त, खोज और सलाहकार समिति को निम्नलिखित कार्य करने पड़ सकते हैं:

- अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्रों की पहचान करना;
- पीठ और अध्येताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना तथा उसका मूल्यांकन करना; और
- राज्य सभा के सभापति द्वारा समय-समय पर समिति को सौंपा गया कोई अन्य मामला।

(iii) कार्यकाल

6. खोज और सलाहकार समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। राज्य सभा के सभापति अपने विवेक से इसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं।

7. खोज और सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्य को इसका पुनर्गठन किए जाने पर, खोज और सलाहकार समिति में पुन: नाम-निर्देशित किया जा सकता है।

(iv) समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की ग्राह्यता

8. समिति के सदस्यों को जब भी समिति के कार्य के संबंध में यात्रा करने की आवश्यकता होगी तब उन्हें संसद सदस्यों अथवा राज्य सभा के महासचिव, यथास्थिति, पर लागू नियमों के अनुसार, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सदस्यों को, संसद सत्र के दौरान संसद सदस्यों और महासचिव को छोड़कर, समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सांकेतिक मानदेय के रूप में रुपये 1000/- का भी भुगतान किया जाएगा।

भाग ख: डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ

(i) पात्रता

9. पीठ उन प्रसिद्ध विद्वानों के लिए खुली है जिनका भारतीय राजनीतिक प्रणाली और संसदीय संस्थाओं और उनके कार्यकरण से संबंधित अध्ययन में विद्वता तथा प्रकाशनों का प्रमाणित रिकार्ड रहा है।

(ii) अवधि

10. पीठ का कार्यकाल पीठ का अवार्ड किए जाने की तारीख से दो वर्षों (जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) का होगा।

(iii) उत्तरदायित्व

11. पीठ को अनुसंधान का परिणाम पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराना होगा। पीठ को पहले वर्ष के अंत में खोज और सलाहकार समिति के विचारार्थ, अनुसंधान प्रतिवेदन की स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) चयन की विधि

12. प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं और राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से पीठ हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस विज्ञापन को राज्य सभा की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।

13. आवेदकों को अपने अनुसंधान प्रस्ताव के सारांश के साथ अपने विवरण विधिवत रूप से भरे गए विहित प्रारूप (**उपाबंध-I**) में भेजने होंगे।

14. प्राप्त प्रस्तावों पर खोज और सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा और वह पीठ प्रदान किए जाने के लिए नामों के एक पैनल की अनुशंसा सभापति, राज्य सभा से करेगी। समिति पीठ के लिए अपनी तरफ से भी विख्यात विद्वानों के नाम सुझा सकेगी।

15. चयनित व्यक्ति, यदि वह पहले से नौकरी में है, को नियत कार्य स्वीकार करने के लिए अपनी संस्था से एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा।

(v) अनुसंधान अनुदान

16. पीठ के लिए अनुसंधान अनुदान दो वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए 14 लाख रुपये होगा। अनुदान जारी किए जाने की अनुसूची निम्नानुसार होगी:

(क) प्रारंभिक नियुक्ति के समय देय राशि का 20%;

(ख) परियोजना प्रतिवेदन के पहले मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद राशि का 30%;

(ग) परियोजना प्रतिवेदन के अंतिम मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद राशि का 30%; अंतिम मसौदा पीठ के कार्यकाल के समापन की तारीख से अधिक-से-अधिक तीन महीने पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा; और

(घ) शेष राशि का भुगतान सभापति, राज्य सभा द्वारा परियोजना-प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

17. इसके अतिरिक्त, दो वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए आकस्मिकता अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जिसे 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दो किश्तों में जारी किया जाएगा।

18. पीठ द्वारा अनुसंधान परियोजना की सम्पूर्ण लागत उल्लिखित अनुसंधान और आकस्मिकता अनुदान में से वहन की जानी होगी।

भाग ग: राज्य सभा अध्येतावृत्तियां

19. संसदीय अध्ययन के लिए दो अध्येतावृत्तियां होंगी। चुने गए अध्येता खोज और सलाहकार समिति के परामर्श से और सभापति, राज्य सभा के अनुमोदन के अध्यधीन अपनी अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित करेंगे।

(i) पात्रता

20. यह अध्येतावृत्ति ऐसे शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के लिए है, जिनके पास भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली तथा संसदीय संस्थाओं और उनके कार्यकरण के संबंध में मूल अनुसंधान करने का संगत अनुभव और अभिरुचि हो। चयन करते समय अभ्यर्थियों की अर्हताओं, उनके पिछले अनुभव, अनुसंधान प्रकाशनों पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

(ii) अवधि

21. अध्येतावृत्ति इसके प्रदान किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि (जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए होगी।

(iii) उत्तरदायित्व

22. अध्येता को मोनोग्राफ अथवा पुस्तक के रूप में अनुसंधान का परिणाम उपलब्ध कराना होगा। छह महीने के बाद उसे किए गए कार्य की प्रगति के संबंध में खोज और सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुति देनी होगी।

(iv) चयन की विधि

23. प्राप्त हुए प्रस्तावों पर खोज और सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा और यह अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए नामों के एक पैनल की अनुशंसा सभापति, राज्य सभा से करेगी। समिति अध्येतावृत्ति के लिए अपनी तरफ से भी विख्यात विद्वानों के नाम सुझा सकेगी।

(v) अध्येतावृत्ति अनुदान

24. प्रत्येक अध्येतावृत्ति अनुदान की कुल राशि एक वर्ष के लिए 3 लाख रुपये होगी। निधियां जारी किए जाने की अनुसूची निम्नानुसार होगी:

(क) चयन के समय देय राशि का 20%;

(ख) लेख/परियोजना प्रतिवेदन का प्रथम मसौदा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् राशि का 30%;

(ग) लेख/परियोजना प्रतिवेदन का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् राशि का 30%; अंतिम मसौदा अध्येतावृत्ति की अवधि की समाप्ति से अधिक-से-अधिक दो माह पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा; और

(घ) शेष राशि का भुगतान राज्य सभा के सभापति द्वारा लेख/परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

25. अनुसंधान परियोजना की संपूर्ण लागत का वहन अध्येताओं द्वारा उपर्युक्त अध्येतावृत्ति अनुदान से किया जाएगा।

भाग-घ: पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए सामान्य शर्तें

(1) पीठ/अध्येता द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश

26. प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रारूप मुख्यत: निम्नलिखित बिन्दुओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए:

(i) **परियोजना का शीर्षक**

(ii) **समस्या का विवरण:** अनुसंधान प्रस्ताव के आरंभिक अनुच्छेदों में जांच की जाने वाली समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त उल्लेख होना चाहिए। संबंधित विषय के सैद्धांतिक संदर्भ में इस समस्या का महत्व विनिर्दिष्ट होना चाहिए।

(iii) **साहित्य का सिंहावलोकन:** मुख्य निष्कर्षों सहित अनुसंधान के क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का सार प्रस्तुत करते समय परियोजना प्रस्ताव में इस समस्या की जांच में इन निष्कर्षों या दृष्टिकोणों की प्रासंगिकता या अन्यथा का स्पष्ट निरूपण होना चाहिए।

(iv) **संकल्पनात्मक रूपरेखाः** समस्या तथा समस्या की जांच के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, इस प्रस्ताव में उन संकल्पनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनका प्रयोग किया जाना है और अध्ययन के लिए उनकी प्रासंगिकता का निरूपण भी होना चाहिए। साथ ही इसमें वह अनुभवजन्य आयाम, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट होना चाहिए, जिसका समस्या की जांच के लिए पता लगाना जरूरी है।

(v) **अनुसंधान संबंधी प्रश्न अथवा परिकल्पनाएं:** समस्या के संकल्पनात्मक स्वरूप और आयामों को देखते हुए, प्रस्तावित अध्ययन के माध्यम से जिन विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं और जिन परिकल्पनाओं की जांच की जानी है, उन्हें अनुसंधान अभिकल्पना के अनुरूप स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

(vi) **व्याप्तिः** उठाए गए प्रश्नों या जांच की जानी वाली प्रस्तावित परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में, यदि नमूना चयन आवश्यक हो जाता है तो, निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में पूरी सूचना दी जानी चाहिए:

(क) अध्ययन जगत;

(ख) नमूना चयन संरचना; और

(ग) अवलोकन के एकक और नमूना आकार।

यदि अध्ययन के लिए किसी नियंत्रण दल की आवश्यकता पड़े तो उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। नमूना के आकार और प्रकार के निर्धारण को स्पष्ट किए जाने की भी आवश्यकता होगी। जिन प्रस्तावों के लिए नमूना चयन की आवश्यकता नहीं होती, उनमें रणनीति यथोचित रूप से विनिर्दिष्ट होनी चाहिए और इसके औचित्य का वर्णन किया जाना चाहिए।

(vii) **कार्य-पद्धतिः** अध्ययन के लिए अनुसंधान की पद्धतियों का उपयुक्त विवरण दिया जाए।

(viii) **आंकड़ा संग्रहणः** उन विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें एकत्र किए जाने का प्रस्ताव है। हर प्रकार के आंकड़ों के लिए स्त्रोतों तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संग्रहण में प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों एवं तकनीकों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(ix) **समय का आबंटन:** परियोजना को उपयुक्त चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण के कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(x) **संदर्भ सूची**।

(2) पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र

27. पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए चयनित आवेदक को एक वचन-पत्र तथा इसके साथ संलग्न शर्तों (**उपाबंध-IIक/उपाबंध-IIख**) पर अलग-अलग हस्ताक्षर करना होगा।

(3) पुस्तकालय सुविधा

28. पीठ/अध्येता को परामर्श के लिए संसद पुस्तकालय का लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

(4) अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रकाशन

29. पीठ/अध्येताओं को किसी प्रतिष्ठित प्रकाशक के माध्यम से अपने अंतिम रूप से अनुमोदित अनुसंधान प्रतिवेदन को प्रकाशित कराना होगा।

30. प्रकाशन का प्रतिलिप्याधिकार राज्य सभा सचिवालय के पास रहेगा।

31. इस संबंध में सभी पत्रादि महासचिव, राज्य सभा को संबोधित किए जाएंगे।

32. निम्नलिखित पाठ स्पष्ट रूप से पुस्तक के आंतरिक शीर्षक/आवरण पृष्ठ के पीछे की ओर मुद्रित किया जाएगा:

> ''यह अनुसंधान कार्य राज्य सभा, भारतीय संसद द्वारा संस्थापित डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ के तत्वावधान में/राज्य सभा अध्येतावृत्ति के अंतर्गत किया गया। इसमें उल्लिखित तथ्यों एवं अभिव्यक्त विचारों की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की है।''

(5) सभापति का निर्णय

33. पीठ/अध्येतावृत्तियों से संबंधित सभी मामलों में राज्य सभा के सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

उपाबंध-II क

पीठ के लिए वचन-पत्र

1. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ को एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूं जिसमें ____________________________ नामक विषय के अधीन विहित रीति से रुपए ____________________ (रुपए ____________________) की धनराशि संवितरित की जाएगी और मैं **परिशिष्ट** में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत हूं। मैं वर्तमान नियमों और उन नियमों, जो भविष्य में बनाए जाएंगे, का भी पालन करूंगा/करूंगी।

2. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा पेश की गई उपर्युक्त परियोजना के संबंध में खर्च की गई समस्त राशि को निर्धारित ब्याज सहित लौटाने पर सहमत हूँ, यदि वह कार्य, जिसके लिए अनुदान दिया गया है या तो उचित रूप से निष्पादित नहीं होता है अथवा मेरे द्वारा रोक दिया जाता है अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदन खोज और सलाहकार समिति/राज्य सभा सचिवालय द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

3. मैं इस विषय/परियोजना पर अनुसंधान करने के लिए किसी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी।

4. मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे द्वारा 'अवार्ड' से जुड़ी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/संशोधन/उपेक्षा किए जाने पर राज्य सभा सचिवालय को 'अवार्ड' को निलंबित करने का अधिकार है।

5. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन मुझसे अथवा मेरी संस्था के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय की विवेकाधीन शक्ति के अधीन किसी भी प्रकार की वसूली की जा सकती है।

पीठ के हस्ताक्षर

विभाग/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

उपाबंध-II ख

अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र

1. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत राज्य सभा अध्येतावृत्ति को एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूँ जिसमें ____________________________ नामक शीर्षक के अधीन विहित रीति में रुपए _____________________ (रुपए _____________________) की धनराशि संवितरित की जाएगी। मैं **परिशिष्ट** में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत हूँ। मैं वर्तमान नियमों और उन नियमों, जो भविष्य में बनाए जाएंगे, का भी पालन करूंगा/करूंगी।

2. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा पेश की गई उपर्युक्त परियोजना के संबंध में खर्च की गई समस्त राशि को निर्धारित ब्याज सहित लौटाने पर सहमत हूँ, यदि वह कार्य, जिसके लिए अनुदान दिया गया है, या तो उचित रूप से निष्पादित नहीं होता है अथवा मेरे द्वारा रोक दिया जाता है अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदन खोज और सलाहकार समिति/राज्य सभा सचिवालय द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

3. मैं इस विषय/परियोजना पर अनुसंधान करने के लिए किसी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी।

4. मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे द्वारा 'अवार्ड' से जुड़ी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/संशोधन/उपेक्षा किए जाने पर राज्य सभा सचिवालय को 'अवार्ड' को निलंबित करने का अधिकार है।

5. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन मुझसे अथवा मेरी संस्था के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय की विवेकाधीन शक्ति के अधीन किसी भी प्रकार की वसूली की जा सकती है।

अध्येता के हस्ताक्षर

विभाग/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

परिशिष्ट

पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए निबंधन और शर्तें

1. पूर्ण अनुसंधान प्रतिवेदन को योजना में यथा उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. विनिर्दिष्ट अंतराल पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न किए जाने पर बिना किसी सूचना के अनुदान निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

3. यदि खोज और सलाहकार समिति द्वारा किन्हीं कारणों से प्रगति असंतोषजनक पायी जाती है, तो राज्य सभा सचिवालय को किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के, 'अवार्ड' को समाप्त करने का अधिकार होगा।

4. राज्य सभा के सभापति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों के सिवाय अनुसंधान परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

5. किसी विद्वान द्वारा उपरोक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारण, चाहे जो भी हो (व्यक्तिगत कारणों सहित) से परियोजना को समाप्त करने की स्थिति में उसे पहले से भुगतान की गई राशि 10 प्रतिशत ब्याज की दर से राज्य सभा सचिवालय को लौटानी होगी और साथ ही पीठ/अध्येतावृत्ति परियोजना के संबंध में संकलित किए गए सभी आंकड़ों/सामग्री को राज्य सभा सचिवालय के सुपुर्द करना होगा।

6. अध्ययन के पूरा होने के उपरांत पीठ/अध्येता द्वारा अनुसंधान प्रतिवेदन में इस आशय की घोषणा उचित रूप से अंतर्विष्ट की जाएगी कि यह परियोजना मूलतः पीठ/अध्येताओं का कार्य है, इसलिए राज्य सभा सचिवालय तथ्यात्मक त्रुटियों, गलतियों, निष्कर्षों, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायी नहीं है। पीठ/अध्येता के नाम को अनुसंधान प्रतिवेदन के आवरण पृष्ठ पर स्पष्टतः प्रदर्शित किया जाएगा, यदि इसे प्रकाशित किया जाता है।

7. चयनित व्यक्ति यदि पहले से नियोजित है, को इस कार्य को शुरू करने हेतु संस्था से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

8. प्रकाशन का प्रतिलिप्याधिकार राज्य सभा सचिवालय के पास होगा।

9. राज्य सभा के सभापति का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा।

उपाबंध-I

डा॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ/राज्य सभा अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र*

1. नाम ____________________
(स्पष्ट अक्षरों में)

2. पिता का नाम ____________________
(स्पष्ट अक्षरों में)

3. जन्म तिथि ____________________

4. पत्राचार हेतु पता ____________________
____
____
दूरभाषः ____________________

यहां पासपोर्ट आकार
का फोटो चिपकाएं

5. स्थायी पता ____________________
____
____
दूरभाषः ____________________

6. वर्तमान में जिस संस्था में कार्यरत हैं, ____________________
उसका नाम (पता सहित) ____________________

दूरभाषः ____________________ फैक्स ____________________

7. शैक्षणिक योग्यताएं: (कृपया केवल तीन मुख्य डिग्रियों का उल्लेख करें)
(सबसे बड़ी डिग्री से प्रारम्भ करें)

डिग्री/प्रमाण-पत्र	संस्था	वर्ष

8. शिक्षण/अनुसंधान अनुभव, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो, तो पृथक् पृष्ठ संलग्न करें)

शीर्षक	संस्था का नाम	वर्ष

9. प्रकाशन: (यदि आवश्यक हो, तो पृथक् पृष्ठ संलग्न करें)

शीर्षक	संस्था का नाम	वर्ष

10. संसदीय अध्ययन के क्षेत्र में अनुभव, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो, तो पृथक् पृष्ठ संलग्न करें)

____

____

____

____

____

____

अनुसंधान प्रस्ताव

खोज और सलाहकार समिति द्वारा सुविज्ञ निर्णय लिए जाने के लिए, कृपया इस आवेदन के साथ प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना का सारांश लगभग 1000 शब्दों में संलग्न करें। अनुसंधान प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएं:

(दिशा-निर्देशों के लिए योजना के भाग घ का संदर्भ लें)

- सार
- अनुसंधान संबंधी समस्या का शीर्षक, पृष्ठभूमि और विवरण
- साहित्य का सिंहावलोकन
- संकल्पनात्मक रूपरेखा
- अनुसंधान संबंधी प्रश्न अथवा परिकल्पनाएं
- व्याप्ति
- कार्य पद्धति
- आंकड़ों का संग्रहण
- समय का आबंटन
- संदर्भ सूची

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर ______________________ दिनांक ______________

नाम और पता ______________________

____

____

*आवेदन उस विभाग/संगठन के प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किया जाना चाहिए जहां आवेदक कार्यरत है।

GMGIPMRND—4008RS(S3)—03.03.2014.